न्यूज़ टुडे

नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) पर रिपोर्ट जारी की गई

- EPI का उद्देश्य राज्यों की निर्यात क्षमता और उनके निष्पादन के संदर्भ में उनकी **तैयारी का आकलन करना है।**
  - इसका प्रयोजन **चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता** को बढ़ाना तथा एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है।
- EPI की संरचना में 4 आधार स्तम्भ, यथा– **नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र, तथा निर्यात निष्पादन** व 11 उप–स्तम्भ शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इसमें राज्यों को भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया गया है, यथा– **तटीय राज्य, स्थलरुद्ध राज्य (Landlocked States), हिमालयी राज्य और संघ शासित प्रदेश।**
- वर्तमान में, **भारत के 70% निर्यात पर पांच राज्यों का प्रभुत्व** है। ये राज्य हैं– **महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना।**

HOW THEY PERFORMED

TOP 5		BOTTOM 5	
Rank	State/ UT	Rank	State/ UT
1	Gujarat (Coastal)	32	Manipur (Himalayan)
2	Maharashtra (Coastal)	33	Andaman & Nicobar (UT)
3	Tamil Nadu (Coastal)	34	Daman and Diu (UT)
4	Rajasthan (Landlocked)	35	Lakshadweep (UT)
5	Odisha (Coastal)	36	J&K (Landlocked)

BEST STATES IN...

Export diversification: Kerala	**Export infrastructure:** Maharashtra	**Business environment:** Gujarat
Growth & orientation: Mizoram	**Access to finance:** Tamil Nadu	**Institutional framework:** Maharashtra
R&D infrastructure: Puducherry	**Transport connectivity:** Delhi	**Export promotion policy:** Gujarat
Trade support: Maharashtra	**Infrastructure:** Arunachal Pradesh	

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **निर्यात का महत्व:** प्रतिस्पर्धा में वृद्धि (घरेलू और वैश्विक दोनों), तेजी से नई तकनीक का आविष्कार, विश्व के बड़े बाजारों तक पहुंच आदि।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18** में उल्लेख किया गया है कि राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार से उनकी संपन्नता और उनके निवासियों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी।
- **निर्यात प्रोत्साहन में चुनौतियाँ:** निर्यात अवसंरचना के मामले में राज्यों के भीतर एवं राज्यों के मध्य व्याप्त विषमताएं; राज्यों द्वारा व्यापार को निम्न समर्थन, राज्यों के मध्य ग्रोथ ओरिएंटेशन (संवृद्धि नीति) की निम्न स्थिति; जटिल एवं विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना आदि।
- **सुझाव:** निर्यात अवसंरचना का संयुक्त विकास; उद्योग–शिक्षा क्षेत्र संपर्क का सुदृढ़ीकरण; क्षमता निर्माण और राज्यों के अंतर्निहित प्रतिस्पर्धी लाभों के आधार पर अधिक जटिल व विशिष्ट उत्पादों की ओर संक्रमण।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act: AFSPA) को असम में छह माह के लिए विस्तारित किया गया है

- हाल ही में, सुरक्षा बलों पर विद्रोहियों द्वारा हमलों और अवैध हथियारों एवं गोला–बारूद की बरामदगी के कारण राज्य को **"अशांत क्षेत्र (disturbed area)"** घोषित किया गया है।
  - **असम में AFSPA नवंबर 1990 से जारी है।** इसे प्रत्येक छह माह में नवीनीकृत किया जाता है।

AFSPA के बारे में

- वर्ष 1958 में अधिनियमित यह कानून **"अशांत क्षेत्रों"** में कानून एवं व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए सशस्त्र बलों को **विशेष शक्तियां और उन्मुक्तियां (extra-ordinary powers and immunity)** प्रदान करता है।
  - उन क्षेत्रों को विक्षुब्ध (अशांत) माना जाता है जहां "विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के मध्य मतभेद या विवाद व्याप्त होते हैं"।
- सामान्यतया, **गृह मंत्रालय इस अधिनियम को वहाँ लागू करता** है जहां ऐसा करना आवश्यक होता है, परन्तु ऐसे भी अपवाद रहे हैं, जहां केंद्र ने अपनी शक्ति को त्यागने तथा राज्य सरकारों पर निर्णय छोड़ने का फैसला किया है।
- **विशेष शक्तियों में शामिल हैं:**
  - कोई व्यक्ति जो कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करता है तथा चेतावनी देने के उपरांत भी ऐसा विधि विरुद्ध कृत्य जारी रखता है तो सशस्त्र बल के कर्मियों द्वारा उस पर गोली चलाया जाना।
  - बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करना।
  - किसी भी वाहन या पोत को रोकना और तलाशी लेना।
  - इसके अतिरिक्त, सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कृत्यों के लिए विधिक उन्मुक्तियां (legal immunity) प्राप्त होती हैं।

वर्ष 1951 से वर्ष 2018 के दौरान मानसून की अनियमितता से उत्पन्न आकस्मिक सूखे (Flash droughts) ने चावल और मक्का के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रों को प्रभावित किया है

- धीरे–धीरे प्रसारित होने वाले **परंपरागत सूखे के विपरीत, आकस्मिक सूखा** असामान्य रूप से उच्चतर तापमान, पवनों तथा उच्च आगामी सौर विकिरण के कारण **अत्यधिक वाष्पीकरण की दर के साथ उत्पन्न** होता है और इसकी तीव्रता भी व्यापक होती जाती है।
  - मृदा की आर्द्रता और फसलों को प्रत्यक्ष रूप क्षति पहुँचाने के कारण इसे **कृषि सूखा (agricultural droughts) के रूप में भी वर्गीकृत** किया जा सकता है।
  - **आकस्मिक सूखे को प्रेरित करने वाले कारक:**
    - **वर्षा की कमी** से उत्पन्न आकस्मिक सूखा (precipitation deficit flash drought), या
    - **असंगत रूप से उच्च तापमान** (anomalously high temperature) अर्थात् हीट वेव से उत्पन्न आकस्मिक सूखा (heatwave flash drought)।
- एक हालिया अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1951–2018 के दौरान **39 आकस्मिक सूखे उत्पन्न हुए थे** और उनमें से **82 प्रतिशत भारत में मानसून के मौसम के दौरान घटित** हुए थे।
  - कोर मानसून क्षेत्र में आने वाले **चार क्षेत्रों (सेंट्रल नार्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर और पश्चिम मध्य)** के अधिकांश भागों में ही मानसून में विच्छेद के कारण **आकस्मिक सूखे** की घटनाएं घटित होती हैं।
    - मानसून में विच्छेद के दौरान वायु के तापमान में वृद्धि और वर्षण की कमी के कारण मृदा की नमी में तीव्रता से ह्रास होता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **मुख्यतया पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर–पूर्वी मानसून के कारण गैर–मानसून मौसम** के दौरान प्रायद्वीपीय क्षेत्र तथा हिमालयी क्षेत्र में आकस्मिक सूखे की घटनाएं दर्ज की जाती हैं।
- आकस्मिक सूखे का प्रभाव: चावल और मक्के की पैदावार में कमी (मानसून के मौसम की फसलें), सिंचाई के जल की मांग में वृद्धि, भौम जल भंडारण पर परोक्ष प्रभाव आदि।

स्वतंत्रता के सात दशक पश्चात्, भारत की कई भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है

- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, **भारत में लगभग 197 भाषाएँ खतरे (endangerment) के विभिन्न चरणों में** हैं, जो विश्व के किसी भी देश से सर्वाधिक है।
- यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा **संभावित रूप से लुप्तप्राय (potentially endangered)** होती है।
  - वे भाषाएं **गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषाएं (Critically endangered languages) हैं, जो केवल किसी समुदाय के पितामह–मातामही अथवा वृद्धजनों** द्वारा ही बोली जाती हैं।
- भारत में, 1971 की जनगणना के पश्चात्, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को **आधिकारिक सूची में शामिल नहीं** किया गया है।
  - इसका परिणाम भाषाओं की सूची में दृष्टिगोचर हुआ, जब 1961 की जनगणना में शामिल 1,652 भाषाओं के विपरीत 1971 की जनगणना में केवल 108 भाषाएं ही दर्ज की गई थीं।
- **लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:**
  - **लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages),** के तहत देश की **लुप्त हो चुकी या निकट भविष्य में लुप्त होने की संभावना से ग्रस्त भाषाओं** को प्रलेखित और संग्रहित (archive) किया जाता है।
  - सरकार द्वारा नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में **लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्र स्थापित करने** के लिए निधि उपलब्ध करवाई जाती है।
- **सुझाव:**
  - मातृभाषा आधारित **बहुभाषी शिक्षा,** भाषाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - भाषाओं का नवीन, सांस्कृतिक और **मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन** किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के तहत 'स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति' (Health Data Management Policy) का मसौदा जारी किया है

- इस मसौदा नीति (ड्राफ्ट पॉलिसी) का मुख्य उद्देश्य **'व्यक्तियों के निजी एवं संवेदनशील डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग'** के लिए एक **रूपरेखा** तैयार करना है।
  - **NHA**, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) हेतु कार्यान्वयन अभिकरण भी है।
- **इस मसौदा नीति की मुख्य विशेषताएं:**
  - NDHM में नामांकित सभी लोगों का **उनके अपने व्यक्तिगत निजी डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होगा** और लोग ID (पहचान) से संबंधित निजी डेटा के किसी भी साझाकरण को प्रतिबंधित करने के लिए **पूर्व प्रदत्त सहमति को वापस लेने हेतु स्वतंत्र** होंगे।
  - **व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत प्रकटीकरण** या साझाकरण से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप के बारे में संबद्ध अधिकारियों को तुरंत अवगत किया जाना चाहिए।
    - ❖ **उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति दंड के पात्र** होंगे।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र (National Digital Health Ecosystem: NDHE) में संग्रहित डेटा, **केंद्रीय, राज्य या संघ शासित प्रदेश स्तर पर और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर भंडारित किए जाएंगे।** इसमें प्रत्येक स्तर पर **अल्पता के सिद्धांत (principle of minimality)** (व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग निषिद्ध होगी, जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो) को अपनाया जाएगा।
- हाल ही में, प्रधान मंत्री द्वारा घोषित NDHM का उद्देश्य देश की **एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है।**
  - यह डिजिटल हाइवेज (digital highways) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के मध्य मौजूदा अंतराल को समाप्त करेगा।

अन्य सुर्खियाँ

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन के लिए कानून में संशोधन करेगी (Government to amend law for delimitation in North East states)	○ केंद्र सरकार **अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना** के अपने पूर्व के आदेश को वैधता प्रदान करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 {Representation of the People Act (RPA), 950} में संशोधन करने के लिए प्रयासरत है। ○ RPA, 1950 की धारा 8A में उपबंध किया गया है कि जब **उपर्युक्त चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन किया जाएगा,** तो राष्ट्रपति, **निर्वाचन आयोग के माध्यम से इन राज्यों में परिसीमन की कार्यवाही आरंभ करने के लिए उपबंध कर सकेगा।** ➢ इसलिए, नए **परिसीमन आयोग** द्वारा यहाँ संपादित कोई भी परिसीमन कार्यवाही "न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित की जा सकती है"। ○ परिसीमन वस्तुतः **लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं** को पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर **पुनः समायोजित** (redrawing) करने की एक प्रक्रिया है।
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है {Ministry of Culture announces 7 new circles of Archaeological Survey of India (ASI)}	○ **नए सर्कल में शामिल हैं:** त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। ➢ इससे पूर्व संपूर्ण देश में **29 ASI** सर्कल विद्यमान थे। ○ संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI, **पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पित एक प्रमुख संगठन** है। ○ यह **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के प्रावधानों के अनुसार पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ○ यह **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972** (Antiquities and Art Treasure Act, 1972) को भी विनियमित करता है।
फास्ट टैग (FASTag)	○ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने **राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर छूट का लाभ उठाने के लिए** फास्टैग को **अनिवार्य करने हेतु** राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन किया है। ○ FASTag एक **इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है,** जो **टोल शुल्क की स्वतः कटौती को सक्षम बनाती है** और वाहन को नकद लेन–देन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। ○ यह **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)** तकनीक पर आधारित है।
डिजि लॉकर (Digi Locker)	○ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners' Welfare: DoPPW) ने **इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश** (electronic Pension Payment Order: EPPO) **को डिजि लॉकर के साथ एकीकृत करने** का निर्णय लिया है। ➢ इस EPPO की सुविधा को **भविष्य (Bhavishya) सॉफ्टवेयर** के साथ विकसित किया गया है, जो पेंशनभोगियों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ○ डिजि लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India programme) के तहत **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** की एक प्रमुख पहल है। ○ डिजि लॉकर का उद्देश्य नागरिकों के प्रामाणिक दस्तावेज़ों को डिजिटल स्वरूप में संग्रहित करने व नागरिकों को उन तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण** करना है।
पुलिक्कली या पुलिकली (Pulikkali)	○ पुलिक्कली (बाघ नृत्य) **केरल की लोककला का एक स्वरूप है।** इस वर्ष, यह कोविड–19 महामारी के कारण ऑनलाइन मनाया जाएगा। ○ **इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा की भांति पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं** और पारंपरिक ढोल सदृश वाद्ययंत्रों जैसे तकिल व उडुक्क की लय पर नृत्य करते हैं। ○ पुलिक्कली की शुरुआत दो शताब्दी पूर्व कोचीन के पूर्व शासक **महाराजा राम वर्मा सकतन तमपुरन** द्वारा की गई थी।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC